

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड II में

प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, तारीख: 16. सितम्बर, 1985

शुद्धिपत्र

का०आ०

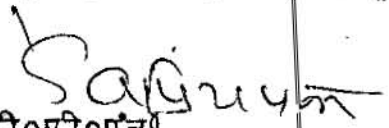
भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II,

खंड 3, उपखंड II तारीख, 11 जनवरी, 1985 में प्रकाशित
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के आदेश सं०
का०आ० 17/अ सं० 6106/पत्र सं० प्रशा० 18/80 आ. क.
इन्वे-3 तारीख 11 जनवरी, 1985 में

1. पृष्ठ 1 पर पंक्ति सं० 5 में "आई टी आई एन वी"
के स्थान पर "आ.क. आई एन वी" पढ़ें;

2. पृष्ठ सं० 2 पर पंक्ति सं० 2 में "श्री वी.वी.एस.शास्त्री"
के स्थान पर "श्री वी.वी.एस.शास्त्री" पढ़ें; और

3. पृष्ठ सं० 2 पर पंक्ति सं० 3 में "सं० 6106/पत्र सं० प्रशा०
13/80/आ०क० इन्वे.-3" के स्थान पर
"सं० 6106/पत्र सं० प्रशा० 18/80 आ०क० इन्वे-3/" पढ़ें।


डी०पी०पंत

उप सचिव, भारत सरकार

सं० 6421
वी III

का० सं० प्रशा 18/80 आई टी आई एन